"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017 — वैशाख 15, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-44/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2529 रायपुर, दिनांक 2 मई 2017

1. आशिष सिंह यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
2. जयप्रकाश, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
3. राजेश यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
4. विजय शर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
5. शाहिद आलम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 2 मई 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत विश्रामपुर, जिला सूरजपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत विश्रामपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया जाना दर्शाया गया.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम को दिनांक 14-4-2016 को तामील की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी जयप्रकाश ने अपना जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की पावती आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया. जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 25-1-2015 को सहायक लेखा अधिकारी (नियुक्त पदाधिकारी) के समक्ष निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा कर दिया था. अत: कारण बताओ सूचना निरस्त करने का निवेदन अभ्यर्थी द्वारा किया गया. अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में समक्ष सुनवाई में भी शपथपूर्वक कथन किया गया कि उनके द्वारा समयसीमा में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया है.

5. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी राजेश यादव ने अपना जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की पावती आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया. जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया था कि उन्हें कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के पत्र क्रमांक 485/स्था. निर्वा./न. पा./2015, दिनांक 12-1-2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत विश्रामपुर के पास जमा करें. तदनुसार उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 20-1-2015 को नियुक्त विहित अधिकारी के पास जमा कर दिया था. आयोग कार्यालय में समक्ष सुनवाई में भी अभ्यर्थी द्वारा शपथपूर्वक कथन किया गया कि उनके द्वारा समयसीमा में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया है.

6. अन्य अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में लिखित जवाब/अभ्यावेदन आज पर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया, अत: उनके विरूद्ध प्रकरण में दिनांक 3-12-2016 को एकपक्षीय कार्रवाई की गई.

7. अभ्यर्थीगण जयप्रकाश एवं राजेश यादव के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर द्वारा पत्र क्रमांक 601/स्था. निर्वा./2016, दिनांक 5-1-2017 एवं क्रमांक 649/स्था. निर्वा./स्थापना/2015, दिनांक 27-3-2017 में अभिमत दिया गया है कि अभ्यर्थीगण जयप्रकाश एवं राजेश यादव द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर द्वारा अभिमत के साथ पत्र क्रमांक 728/स्था. निर्वा./सहा. अधी./2015, दिनांक 24-3-2015 की छायाप्रति मय संशोधित परिशिष्ट-36 भी संलग्न की गई जिसमें अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम द्वारा समयसीमा में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया जाना दर्शाया गया .

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर के संशोधित प्रतिवेदन परिशिष्ट-36 तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत विश्रामपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर दाखिल कर दिया था. तथापि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रथम बार दिनांक 24-2-2015 को परिशिष्ट-36 में प्रेषित जानकारी में अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया जाना सूचित किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थीगण को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना जारी की गई. अभ्यर्थीगण जयप्रकाश एवं राजेश यादव द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा आयोग को प्रेषित अभिमत में अभ्यर्थीगण द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर नियमानुसार प्रस्तुत करना उल्लेखित किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा आयोग को बाद में प्रेषित संशोधित परिशिष्ट-36 में प्रतिवेदित जानकारी से भी इसकी पुष्टि हो जाती है. अत: उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा कि अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया गया है. अत: अभ्यर्थीगण आशिष सिंह यादव, जयप्रकाश, राजेश यादव, विजय शर्मा एवं शाहिद आलम के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सूरजपुर को संसूचित किया जाये कि वे अपने कार्यालय को भविष्य में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु निर्देशित करें. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में कराया जाए.

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 2 मई 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.